

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020—फाल्गुन 30, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. एफ ए-3-03-2018-1-पांच(19).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-03-2018-1-पांच(4), दिनांक 23 जनवरी, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक में:—

“10 जनवरी, 2020” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, “17 जनवरी, 2020” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. एफ ए-3-03-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय के आदेश क्र. एफ ए-3-03-2018-1-पांच (19), दिनांक 20 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th March 2020

No. F A-3-03-2018-1-V(19).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department notification No. F. A-3-03-2018-1-V(4), dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, in the third proviso for the figures, letters and word “10th January, 2020”, the figures, letters and word “17th January, 2020” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.